–: राजस्थान सरकारः–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– बाल कृष्ण तिवारी (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 95/2022

उनवान प्रकरण

विश्वबन्धु गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर राज0

..........................आवेदक

बनाम

1. सुशील कुमार पाण्डे पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पाण्डे ,मैनेजर/विक्रेता मैसर्सः–बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । मूल निवासी थाना जिगना ग्राम परमानपुर तह0 जिला मिर्जापुर(उ0प्र0), हाल निवासीः– बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर ।
2. ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री खूबीराम, डायरेक्टर मैसर्सः– बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । निवासीः ए–82 बालाजी नगर कमला नगर कुबेरपुर आगरा (उ0प्र0) 382006
3. उमा देवी अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्सः:– बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । निवासीः ए–82 बालाजी नगर कमला नगर कुबेरपुर आगरा (उ0प्र0) 382006
4. कविता गर्ग डायरेक्टर मैसर्सः– बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । निवासीः ए–82 बालाजी नगर कमला नगर कुबेरपुर आगरा (उ0प्र0) 382006
5. मोनिका गर्ग डायरेक्टरः– बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । निवासीः ए–82 बालाजी नगर कमला नगर कुबेरपुर आगरा (उ0प्र0) 382006

.....................अभियुक्त

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51
एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :–

आवेदक की ओर से :– श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अभियुक्त की ओर से :– श्री सुधीर भूषण शर्मा, एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5

Scanned with CamScanner

-: राजस्थान सरकार:-

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 95/2022 सरकार बनाम सुशील कुमार पाण्डे

(2)

निर्णय

दिनांक – 27.09.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री विश्वबन्धु गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 21.02.2022 को दोपहर 1.15 पीएम बजे मैसर्सः मैसर्सः–बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर जिला धौलपुर पर पहुँचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे , तो उसने अपना नाम श्री सुशील कुमार पाण्डे पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पाण्डे ,मैनेजर/विक्रेता मैसर्सः–बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । मूल निवासी थाना जिगना ग्राम परमानपुर तह0 जिला मिर्जापुर(उ0प्र0), हाल निवासीः– बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर होना जाहिर किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र संख्या 12215022000047 होना जाहिर किया ।

उक्त निरीक्षण के दौरान पाया कि उक्त विक्रेता की निर्माण ईकाई मं लगभग 100 बैग (प्रत्येक में लगभग 30 कि.ग्रा.) कुल लगभग 3000 किलो चना दाल वास्ते आमजन को विक्रय करने हेतु रखा था । उक्त चना दाल में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त चना दाल का नमूना वास्ते जॉच देने हेतु कहा विक्रेता को प्रपत्र 5 (ए) के देकर एक प्रति प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है । विक्रेता की उक्त 3000 किलो चना दाल में से 04 किलो चना दाल वास्ते नमूना जॉच खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 220/–(दो सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये । खरीद शुदा 04 किलो चना दाल चार नमूना भाग तैयार किया जिस पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड कमांक डी–2361 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम ,पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये । चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी–2361 नियमानुसार चारों नमूना भागों को चिपकाकर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ.कर सुनाकर ,समझाकर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म vi की छः प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सी बन्द किये । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या vi की एक प्रति चिपकाकर एवं सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर

Scanned with CamScanner

रसीद प्राप्त की । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र कमांक 92 दिनांक 12.03.2022 एवं संशोधन पत्रांक 157 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एलएस/300/एक्ट/2022/300दिनांक 04.03.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया चना दाल अवमानक (Substandard) प्रकृति का पाया गया । उक्त केस में चना दाल अवमानक (Substandard) का विक्रय करके विक्रेता सुशील कुमार पाण्डे पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पाण्डे ,मैनेजर/विक्रेता मैसर्सः-बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी-82-83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । मूल निवासी थाना जिगना ग्राम परमानपुर तह0 जिला मिर्जापुर(उ0प्र0), हाल निवासीः- बी-82-83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर ,ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री खूबीराम, डायरेक्टर मैसर्सः- बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी-82-83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । निवासीः ए-82 बालाजी नगर कमला नगर कुबेरपुर आगरा (उ0प्र0) 382006 ,उमा देवी अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्सः:- बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी-82-83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । निवासीः ए-82 बालाजी नगर कमला नगर कुबेरपुर आगरा (उ0प्र0) 382006,कविता गर्ग डायरेक्टर मैसर्सः- बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी-82-83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । निवासीः ए-82 बालाजी नगर कमला नगर कुबेरपुर आगरा (उ0प्र0) 382006 एवं मोनिका गर्ग डायरेक्टरः- बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी-82-83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । निवासीः ए-82 बालाजी नगर कमला नगर कुबेरपुर आगरा (उ0प्र0) 382006 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । अतः प्रकरण में उचित जुर्माना करने का अनुरोध किया है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण के अभिभाषक उपस्थित हुये। नकल प्रार्थना-पत्र दिलाई गई । अप्रार्थीगण अभिभाषक को आरोप पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 शशि पाण्डे को वक्त नमूना पक्षकार बनाया गया है वह कम्पनी में एक प्रबन्धक के रूप में कार्यरत था तथा अब बह कम्पनी से सेवाऐं त्याग कर अन्यत्र जा चुके है चूंकि समस्त जिम्मेदारी उक्त कम्पनी/फर्म की है इसलिये उनके समस्त प्रभार को कम्पनी/फर्म वहन करने को तैयार है उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है । साथ ही अप्रार्थीगण अभिभाषक ने कहा कि अप्रार्थीगण कानूनी प्रकिया से अनभिज्ञ है एवं अप्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा जबाव पेश करने से मना किया तथा लिखित में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण कम्पनी/फर्म की ओर से जानबूझकर त्रुटि नहीं की गई है इसलिये प्रकरण में सद्भावना पूर्वक निर्णय करने का निवेदन किया ।

प्रकरण में पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने कथनों में अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की सहमति व्यक्त की ।

Scanned with CamScanner

–: राजस्थान सरकार:–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 95/2022 सरकार बनाम सुशील कुमार पाण्डे

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त चना दाल अवमानक (Substandard) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है । इस प्रकार अप्रार्थीगण उक्त चना दाल अवमानक (Substandard) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

हालांकि उक्त प्रकरण में The Food Safety and Standards Act, 2006 Ruls 51 एवं विनिमय–2011 के उल्लंघन की दशा में अवमानक (Substandard) में राशि पॉच लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक जुर्माना / दण्ड / शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है ,तदापि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थीगण सुशील कुमार पाण्डे पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पाण्डे ,मैनेजर/विक्रेता मैसर्सः–बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । मूल निवासी थाना जिगना ग्राम परमानपुर तह0 जिला मिर्जापुर(उ0प्र0), हाल निवासीः– बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर एवं ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री खूबीराम, डायरेक्टर मैसर्सः– बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । निवासीः ए–82 बालाजी नगर कमला नगर कुबेरपुर आगरा (उ0प्र0) 382006,उमा देवी अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्सः:– बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । निवासीः ए–82 बालाजी नगर कमला नगर कुबेरपुर आगरा (उ0प्र0) 382006,कविता गर्ग डायरेक्टर मैसर्सः– बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । निवासीः ए–82 बालाजी नगर कमला नगर कुबेरपुर आगरा (उ0प्र0) 382006 एवं मोनिका गर्ग डायरेक्टरः– बाबा घनश्याम मेटल्स प्रा0लि0, बी–82–83, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर । निवासीः ए–82 बालाजी नगर कमला नगर कुबेरपुर आगरा (उ0प्र0) 382006 पर सहमति से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत राशि 10000/– रूपये (दस हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है । जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट कार्यालय, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल कृष्ण तिवारी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

Scanned with CamScanner